संख्या- 106/2019/6057/71-1-2019-जी-402/2013

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 18 दिसम्बर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 सीटेड पी0जी0 मैरिड छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/443, दिनॉक 28-11-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 सीटेड पी0जी0 मैरिड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रू0 8,56,35,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-64/333/71-1-14-जी-402/2013, दिनॉक 17-12-2014 द्वारा प्रदान की गयी है। लागत पुनरीक्षित होने के कारण शासनादेश संख्या-200/2018/1399/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 11-07-2018 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 10,77,75,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 10,23,87,000/- की धनराशि निर्गत कर दी गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-64/333/71-1-14-जी-402/2013, दिनॉक 17-12-2014	181.63
2	शासनादेश संख्या-160/2015/1904/71-1-15-जी-402/2013, दिनॉक 16-09-2015	246.54
3	शासनादेश संख्या-22/2017/3255/71-1-16-जी-402/2013, दिनॉक 10-02-2017	385.36
4	शासनादेश संख्या-6/2018/122/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 24-01-2018	42.82
5	शासनादेश संख्या-202/2018/2522/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 13-07-2018	167.52
	योग-	**1023.87**

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 सीटेड पी0जी0 मैरिड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1,00,24,000/- के सापेक्ष 5 प्रतिशत के रूप में देय धनराशि रू0 53.88 लाख तथा प्रायोजना की लागत पर अनुमन्य जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 29.00 लाख कुल रू0 82,88,000/- (रू0 बयासी लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नही रखी जायेगी।
3- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- शासनादेश संख्या-64/333/71-1-14-जी-402/2013, दिनॉक 17-12-2014 एवं शासनादेश संख्या-200/2018/1399/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 11-07-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय

(अमित सिंह बसंल)
विशेष सचिव

संख्या:-106/2019/6057(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।